



CHHATTISGARH STATE WAQF BOARD

(Constituted under Waqf Act. 1995 as amended 2013, Govt of India)

Ref. No. 90/2026

Date 02/04/2026

आरिफ अली फारुकी को रायपुर शहर काजी के पद से हटाया गया

मिनाज मेमन द्वारा दिये गये दरखास्त में मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन यतीमखाना, बैजनाथपारा रायपुर के शहर काजी आरिफ अली फारुकी के विरुद्ध शिकायत की गई कि उनके द्वारा महिला से रात को 1 बजे अश्लील हरकत की गई जिससे रायपुर शहर के मुस्लिम समाज एवं उलमाये दीन समाज में रोष व्याप्त है, उक्त अनैतिक कृत्य के विरुद्ध रायपुर शहर काजी के पद से तत्काल हटाये जाने की मांग की गई जिस पर कार्यवाही करते हुये रायपुर शहर के उलमाये दीन व आईम्माये इकराम श्री कारी ईमरान, अब्दुल रज्जाक, जहीर रहबर, आबाद अली, अशरफ अली व अन्य द्वारा दिनांक 31.03.2026 को बैठक आयोजित कर उक्त अनैतिक कृत्य को संज्ञान में लेते हुये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आरिफ अली फारुकी को रायपुर शहर काजी के पद से हटाया दिया गया है।

(डॉ.सलीम राज)

अध्यक्ष

छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर
केबिनेट मंत्री दर्जा